

(राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा कानून नं. 15/12/23 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पत्रावली का पुर्नगठन करने पर पत्रावली उपखण्ड उदयपुर जिले से स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर वास्तो उचित कार्यवाही पत्रावली दिनांक 25/10/23 को पेश हो।

29/9/23

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा कानून नं. 15/12/23 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पत्रावली का पुर्नगठन करने पर पत्रावली उपखण्ड उदयपुर जिले से स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर वास्तो उचित कार्यवाही पत्रावली दिनांक 25/10/23 को पेश हो।

[Signature]

20/10/23

पत्रावली पेश हुई। आज अतिरिक्त पत्रावली कार्यालयों में कार्य नहीं कर रहा है। पत्रावली गत आदेशानुसार कार्यवाही दिनांक 15/12/23 को पेश हो।

15-12-23

पत्रावली पेश हुई। अकाउंट मशकदारान उपस्थित आज पीछासीन अधिकारी भ्रमण पर है। अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2-2 को पेश हो।

30.11.24

वादी द्वारा जारिमे वकील डा. पड मिला व वकील व डा. पड काबर किट्टी का मध्य कालगनाम) पेश करे पर पत्रावली लगे ले नाम व का काफ की पेशी में ली गई। डा. पड पर वकील वादी को सुना गया। किट्टीन का न जाहिर किया कि कोवाड कागे नही चलाया चाहता है वाड को किट्टी करे चहता है। डा. पड पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाड अब लगे मं डा. पड काबर किट्टी लीकर किया जाना है तथा पत्रावली मोर उस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुनाए हो नकार ले कम है तथा दाखिल दफ्तार है।

उक्त पत्रावली को पेश नहीं किया गया।
13-21
Adv.